संख्या : 133 / XIII(II) / 2012–10(05) / 2012

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्तरीय नोडल ऐजेन्सी,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 28 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2012

विषयः समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत सम्पादित कराए जाने वाले कार्यों हेतु Schedule of Rates निर्धारित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3107/1-2/SLNA/C-N/2011 दिनांक 26.5.2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत जनपदों में सम्पादित कराए जाने वाले अभियांत्रिकी कार्यों यथा, जल संरक्षण, जल सम्भरण, जल संग्रहण योजनाओं तथा गैर अभियांत्रिकी कार्यों यथा, वानिकी, औद्यानिकी, पशुपालन आदि हेतु Schedule of Rates निर्धारित किए जाने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1050/XIII(1)/2011-01(53)/2011 दिनांक 17.11.2011 द्वारा IWMP सहित अन्य केन्द्र/राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत किए जाने वाले कृषि संबंधी कार्यों का सम्पादन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित Schedule of Rates के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गई है।

3. तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि IWMP के अन्तर्गत वे सभी कार्य, जिनके संदर्भ में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा Schedule of Rates निर्धारित है, का सम्पादन उसी के अनुरूप किया जाएगा। जबकि अन्य कार्य, जिनके संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा Schedule of Rates निर्धारित नहीं हैं, का सम्पादन जलागम निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को सूचित दरों पर किया जाएगा।

4. जलागम निदेशालय द्वारा संसूचित दरों के संदर्भ में कार्यदायी संस्थाओं को संबंधित रेखीय विभागों में अद्यतन शासनादेशों द्वारा लागू दरों के आधार पर समय–समय पर सूचित किया जाएगा। ऐसा करते हुए जलागम निदेशालय द्वारा रेखीय विभागों के सुसंगत अद्यतन शासनादेश का भी उल्लेख किया जाएगा।

5. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.11.2011 को IWMP के संदर्भ में उक्त सीमा तक परिमार्जित समझा जाएगा।

6. कृपया उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
पंजीकृत सं. 893
फाईल सं. 1-2 SLNA
दिनांक 29/9/2012

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

Pandey-2012/July/Letter

क्रमशः...

संख्या : 133 (1)/XIII(2)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा. जलागम मंत्री जी, उत्तराखण्ड।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– परियोजना निदेशक, जलागम, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव।